संख्या-943/2018/1290/22-2-2018-17(230)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 26 दिसम्बर ,2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतनाम पुत्र श्री दिलीप सिंह निवासी जनपद- मेरठ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25515/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-09-07-2018) दिनांक-17-07-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतनाम पुत्र श्री दिलीप सिंह जो निवासी-11/5 गंगानगर कालोनी, थाना-इंचौली, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 20.08.2001 को रात्रि में पत्नी एवं बेटी को नशीली चीज देकर बेटी को पकड़ लिया उसके साथ बुरा काम किया तथा लड़की को धमकाया और डराया तथा कहा अगर तूने अपनी मां व किसी अन्य से कहा तो तुझे व तेरी मां व सभी बच्चों को मार दूगा तथा मौका मिलने पर अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-833/2001 में भा0द0वि0 की धारा- 376, 328, 506 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-6, मेरठ के आदेश दिनांक 21.10.2002 द्वारा आजीवन कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। बंदी द्वारा दिनांक 26.06.2018 तक अपरिहार 15 वर्ष, 08 माह 05 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष 11 माह 17 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 05 बिन्दु की आख्या में बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख है कि बंदी ने दिनांक 20.08.2001 को रात्रि में पत्नी एवं बेटी को नशीली चीज देकर बेटी को पकड़ लिया उसके साथ बुरा काम किया तथा लड़की को धमकाया और डराया तथा कहा अगर तूने अपनी मां व किसी अन्य से कहा तो तुझे व तेरी मां व सभी बच्चों को मार दूगा तथा मौका मिलने पर अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु-56 वर्ष लगभग है, शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है तथा अपराध करने में अशक्त नहीं है, की पुष्टि 05 बिन्दुओं की आख्यां में जिला प्रोवेशन अधिकारी,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सतनाम पुत्र श्री दिलीप सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बंदी सतनाम (बन्दी संख्या-7974) पुत्र श्री दिलीप सिंह निवासी जनपद- मेरठ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-943/2018/1290(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागा विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-943/2018/1290/22-2-2018-17(230)/2018

दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतनाम पुत्र श्री दिलीप सिंह जो निवासी-11/5 गंगानगर कालोनी, थाना-इंचौली, जनपद- मेरठ का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 20.08.2001 को रात्रि में पत्नी एवं बेटी को नशीली चीज देकर बेटी को पकड़ लिया उसके साथ बुरा काम किया तथा लड़की को धमकाया और डराया तथा कहा अगर तूने अपनी मां व किसी अन्य से कहा तो तुझे व तेरी मां व सभी बच्चों को मार दूगा तथा मौका मिलने पर अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-833/2001 में भा0द0वि0 की धारा- 376, 328, 506 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-6, मेरठ के आदेश दिनांक 21.10.2002 द्वारा आजीवन कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। बंदी द्वारा दिनांक 26.06.2018 तक अपरिहार 15 वर्ष, 08 माह 05 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष 11 माह 17 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 05 बिन्दु की आख्या में बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख है कि बंदी ने दिनांक 20.08.2001 को रात्रि में पत्नी एवं बेटी को नशीली चीज देकर बेटी को पकड़ लिया उसके साथ बुरा काम किया तथा लड़की को धमकाया और डराया तथा कहा अगर तूने अपनी मां व किसी अन्य से कहा तो तुझे व तेरी मां व सभी बच्चों को मार दूगा तथा मौका मिलने पर अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु-56 वर्ष लगभग है, शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है तथा अपराध करने में अशक्त नहीं है, की पुष्टि 05 बिन्दुओं की आख्यां में जिला प्रोवेशन अधिकारी,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सतनाम पुत्र श्री दिलीप सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** कर दी गयी है।

अमर सेन सिंह

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in